<u>न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-142/2023

CNR No UPBB180002212023

सुरेश बहादुर सिंह बनाम नवनीत तिवारी आदि

<u>09.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर प्रश्नगत हिबानामा जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 13.12.2022 को बही सं० 1 जिल्द सं० 4000 के पृष्ठ सं०-223 से 242 पर क्रम सं०-5312 पर उपनिबन्धक कार्यालय रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी को हुई, को मंसूख करा पाने का अधिकारी है?
2. क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?
3. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
4. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
5. क्या वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?
6. क्या दावा धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
7. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2,3 व 4 हेतु दिनांक 11.10.2024 को पेश हो।

(प्रीति भास्कर)
सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।